राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/2014 7513-45 जयपुर, दिनांकः 11.6.15

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,
भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू,
दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली,
कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः– अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा परिपत्र कमांकः एफ.4(1) आ.प्र. एवं सहा./पेयजल/2014/4567–604 दिनांक 13.4.2015 को अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था के दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित 29 जिलों में से **जिला अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, राजसमन्द, टोंक, उदयपुर के कुल राजस्व ग्रामों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इन जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जा सकती है** एवं शेष जिलों यथा अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य आपदा मोचन निधि से देय होगा तथा शेष क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा. /पेयजल/2014/4567–604 दिनांक 13.4.2015 द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
10/6/15
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पशु पालन एवं प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर।

5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव